भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2213

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

लाभ के पद पर रहने वाले अधिवक्ता और न्यायाधीश

2213. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में ऐसे अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में सूचना संकलित की है जो लाभ के विभिन्न पदों पर आसीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद-124, अनुच्छेद-217 और अनुच्छेद-224 के अधीन की जाती है और इसकी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के (द्वतीय न्यायाधीशों का मामला) में प्रत्यार्थी साक्षी के निर्णय के संबंध में, 28 अक्तूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीशों का मामला) में उनकी सलाहकारी राय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में दी गई है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के उपबंध संविधान के अनुच्छेद-233 और अनुच्छेद-233 विहित है ।

जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लाभ के पद रहने का संबंध है, ऐसी कोई सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****